नब्बे के दशक में बिहार में दलितों की स्थिति एवं सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों का राजनीतिक अध्ययन

डॉ0 उमेश कुमार पासवान शोध–छात्र, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग,
ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

नब्बे के दशक आते–आते दलित आंदोलन बिहार में अपने विकास–क्रम में एक नए मुहाने पर आ पहुँचा। कमिया अछूत अब करीब सत्तर साल बाद दलित खेत मजदूर के रूप में प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अपनी संगठित शक्ति का अहसास कराने लगे थे। 'क्रिमिलन' के रूप में जाना जानेवाला अछूत अब नक्सली दलित के रूप में जमीनी स्तर पर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगा था। तब सत्ता के प्रतिनिधि संगठनों में उसका कोई प्रतिनधि नहीं था। आजादी के बाद के चालीस वर्षों में प्रदेश से लेकर केन्द्र तक उसके दर्जनों मंत्री और सैकड़ों विधायक–सांसद हो चुके थे। काला अक्षर जिनके लिए भैंस बराबर था, उनमें से लाखों लोग अब दीवार पर लिखी इबारत का अर्थ पहचानने लगे थे। उन दिनों अछूतों में जितने साक्षर थे, उससे ज्यादा दलित अब स्नातक थे। करीब बत्तीस लाख दलित खेत मजदूर, 19 लाख साक्षर दलित, 89 हजार दलित स्नातक, हजारों दलित सरकारी कर्मचारी, लाख से ऊपर लघु और मंझोले दलित व्यवसायी और उद्यमी, और पूरे प्रदेश में फैले हजारों दलित नेता और कार्यकर्ता–क्या ये लोग नए दौर की नई चुनौतियों का सामना करने को, एक नई छलांग लगाने को तैयार थे? बहरहाल, इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी था–नई चुनौतियाँ बहुत हद तक इस पहलू से जुड़ी थीं। इसलिए '90 के दशक में दलितों की पूरी तस्वीर में झाँकना जरूरी है।

खेत मजदूर '91 की जनगणना में बिहार की कुल 23 दलित जातियों की जनसंख्या थी 1,25,71,700 यह प्रदेश की कुल आबादी का 14.55 फीसदी था। कुल आबादी में दलित जातियों का सबसे अधिक अनुपात गया जिले में था–29. 58 फीसदी। इसके बाद पलामू (25.07 प्रतिशत), नवादा (24.42 प्रतिशत), और औरंगाबाद (23.26 प्रतिशत) का स्थान आता था। 15 से 20 फीसदी दलित आबादी वाले अन्य जिले थे–वैशाली (19.85), नालंदा (19.40), मुंगेर (16.47), मधेपुरा (16.34), मुजफ्फरपुर (15.72), धनबाद (15.54), और पटना (15.48)। इनमें से ज्यादातर

जिले अतीत में दलित आंदोलन और वर्तमान में नक्सली आंदोलन के भी केंद्र थे। दलित जातियों के बीच मुख्य श्रमिकों की संख्या थी करीब 44 लाख 35.07 प्रतिशत)। इन मुख्य श्रमिकों में मात्र 15.63 प्रतिशत काश्तकार थे, जबकि 72.25 प्रतिशत खेत–मजदूर थे। इस तरह इन दलित खेत मजदूरों की कुल संख्या थी करीब 31 लाख 85 हजार। ये बिहार के कुल खेत मजदूरों (95,12,892) का करीब 33.5 फीसदी थे।

इन दलितों खेत मजदूरों का 70 फीसदी से अधिक गरीबी की रेखा से नीचे था। '91 की जनगणना की रोशनी में प्रदेश के दलितों की बदहाल जीवन स्थितियों का जायजा इन तथ्यों से भी लगाया जा सकता है : प्रांत के 44.6 प्रतिशत दलितों को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं था (पीने का साफ पानी का मतलब हैंड पंप/नलकूप या नल के पानी से था)। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दलितों का प्रतिशत था 36.4। पूरे प्रदेश में मात्र 7.44 प्रतिशत दलित परिवारों को बिजली की सुविधा थी (राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत था 28.10) । मात्र 4.99 प्रतिशत दलितों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। इन तीनों सुविधाओं से युक्त दलित परिवारों का अनुपात नगण्य था–2.77 प्रतिशत, जबकि 41.53 फीसदी दलित परिवार इनमें से किसी भी सुविधा से वंचित थे।

पूरे दशक के दौरान दलित खेत मजदूरों और गरीब किसानों के बीच वासगीत और कृषि योग्य भूमि के वितरण से संबंधित स्थिति का ब्यौरा दिया जा सकता है। प्रारंभ से अक्टूबर 2002 तक प्रदेश सरकार ने कुल 3,02,71,704 एकड़ अधिशेष भूमि का 3,93,636 लोगों में विरतण किया था। इनमें से दलित जाति के 2,37,384 लाभार्थियों के बीच 1,76,502.70 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। इसी अवधि में 9,29,207 लोगों के बीच 6,62,776.53 एकड़ सरकारी जमीन बंदोबस्त किया गया। दलित लाभार्थियों की संख्या थी 5,22,944 और उनके साथ बंदोबस्त की गई जमीन थी 3,47,895.29 एकड़। इसी तरह भूदान से प्राप्त 2,65,555.58 एकड़ जमीन 3,37,812 लोगों में बाँटी गयी–दलितों की संख्या थी 1,42,777 और कुल वितरित जमीन थी 1,17,277 एकड़। इस प्रकार अक्टूबर 2002 तक कुल 9,03,105 दलित परिवारों के बीच कुल 6,41,674.99 एकड़ जमीन का वितरण किया गया।[1]

न्यूनतम मजदूरी और जमीन का प्रश्न, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, काफी तीखे, रक्तरंजित संघर्ष का प्रश्न रहा है। पूरे दशक के दौरान भूमि विवाद और मजदूरी को लेकर हिंसक घटनाओं की यह सूची देखी जा सकती है–

वर्ष	कांड संख्या	मृत	घायल
1990	219	110	182
1991	202	128	241
1992 (17 जून जक)	102	36	174
1994	310	161	271
1995	422	198	335
1996	500	264	562
1997	450	242	504
1998	394	227	365

इसी दशक के मध्य में भूस्वामियों के आक्रामक गिरोह के रूप में रणवीर सेना का गठन किया गया, दलित गरीब किसानों और खेत मजदूरों के भयानक जन संहार हुए और इन जनसंहारों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन और जन–प्रतिरोध हुए। सबसे बड़ा जनसंहार 31 दिसंबर, 1997 को अरवल के लक्ष्मणपुर–बाथे गाँव में हुआ जिसमें शिशुओं और महिलाओं समेत 59 व्यक्ति मारे गए। 1990 से 1995 के बीच कुल 11 जनसंहारों और हत्याकांडों में 108 व्यक्ति मारे गए। अप्रैल '95 से जून 2000 के बीच इस तरह की 37 घटनाओं में कुल 367 लोग मारे गए।

इनमें से 29 घटनाओं को रणवीर सेना ने अंजाम दिया था। समाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यकाल रू वृद्धावस्था पेंशन और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीनेवालों (लाल कार्ड धारकों) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते दर पर अनाज और कुछ अन्य जरूरी चीजों की आपूर्ति के अलावा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थीं–रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डी डब्ल्यू सी आर ए, और (ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण) ट्राइसेम। इसके अलावा, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, प्रशिक्षण–व–उत्पादन केंद्र, अनाज भंडार (ग्रेन गोला), इंदिरा आवास योजना जैसे कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए गए।

15 अगस्त, 1997 से पूरे देश में बालिका समृद्धि योजना लागू की गई। कुछ दिनों बाद इस योजना को शत–प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाने लगा। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों में 15 अगस्त, 1997 को अथवा बाद में जन्म लेनेवाली बालिकाओं की माताओं को प्रसव के उपरांत पांच सौ रुपए की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान की जाती। बाद में इस योजना का पुनरीक्षण कर इसके अंतर्गत प्राप्त अनुदान की राशि तथा विद्यालय में पढ़नेवाली छात्रा की छात्रवृत्ति की राशि को लाभान्वित बालिका के नाम से तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ बैंक अथवा डाकघर में लंबी अवधि वाले खाते में रखना था और 18 वर्ष की आयु पूरी होने की स्थिति में अविवाहित रहने पर बालिका को सूद सहित संपूर्ण राशि प्राप्त होनी थी। 18 वर्ष के पूर्व विवाहित होने पर 500 रू. का अनुदान ही सूद के साथ प्राप्त होना था। छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार थी रू I-II के लिए 300 रु. वार्षिक; IV के लिए 500 रु.; VI-VII के लिए 700 रु0; VIII के लिए 800 रु. तथा IX-X के लिए 1000 रु. वार्षिक। इस योजना के लिए 1999–2000 में बिहार सरकार को 7.12 करोड़ रु. भारत सरकार से प्राप्त हुए।

इसी तरह केंद्र प्रायोजित बाल विकास सेवा परियोजना 2 अक्टूबर, 1975 से ही प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में प्रशासनिक व्यय शत–प्रतिशत भारत सरकार वहन करती। इसके अंतर्गत 0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धातृ माताओं के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए पोषाहार, टीकाकरण, स्कूल–पूर्व शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता तथा रेफरल सुविधाएँ उपलब्ध कराई जातीं। पोषाहार पर होने वाला व्ययभार राज्य सरकार वहन करती। सन् 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद ऐसी 171 परियोजनाएँ बिहार में चल रही थीं (जिनमें 84 विश्व बैंक के अंतर्गत चलाई जा रही थीं) वर्ष 2000–2001 में पोषाहार के लिए योजनामद से 15 करोड़ रू. एवं गैर योजना में 20.18 करोड़ रु. व्यय किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दलित जाति के सदस्यों का असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का भी प्रावधान किया गया। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता के रूप में 300 रु. प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान था। विशेष परिस्थिति में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी 200 रु तक तथा अनुमंडल पदाधिकारी 900 रु. तक की चिकित्सा सहायता स्वीकृत

कर सकते थे। जहाँ अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी पदस्थापित नही हों, वहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी 500 रु. तक तथा उपविकास आयुक्त 1000 रु. से अधिक राशि स्वीकृत करने हेतु सक्षम थे। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दलित जाति के लोगों को चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि वे किसी भी निबंधित होमियोपैथिक, यूनानी या आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चिकित्सा अनुदान प्राप्त कर सकते थे। गंभीर बिमारियों में दिए जाने वाले चिकित्सा अनुदान में भोजन तथा दवाई का भी खर्च शामिल किया गया। उक्त अनुदान सामान्यतः आवेदन की तिथि से सात दिनों के अंदर स्वीकृत करने का प्रावधान था। यदि आवेदक किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो तो ऐसी दशा में उसे 48 घंटे के अंदर उक्त अनुदान की राशि विमुक्त की जानी थी। दुर्घटना के कारण लंबी अवधि तक शय्याग्रस्त रोगियों को भी इस तरह का अनुदान स्वीकृत किया गया। 2000–2001 में (गैर–योजनांतर्गत) दलित जातियों के लिए इस मद में करीब पंद्रह लाख रूपये रखे गए थे।[2]

इसके अलावा, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत मार्च 1996 तक 1,75,272 दलित जातियों के परिवारों की गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बहरहाल, मरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण इलाकों में खेती के बैठारी के दिनों में खेत मजदूरों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण योजना थी 1993 में शुरू की गई रोजगार आवश्वासन योजना। इस योजना के तहत लघु सिंचाई परियोजनाओं, जल व भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कों तथा प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण और मरम्मत जैसे कार्यों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी अधिसंरचनाओं के निर्माण के जरिए ग्रामीण गरीबों को साल में अधिकतम सौ दिन का रोजगार प्रदान करना था। पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जानी थी और उन्हें कार्ड भी जारी किया जाता। इसके लिए फंड की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। जिन कार्यों में सीमेंट, इस्पात, आदि सामानों की ज्यादा खपत हो, उसे इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं दी जानी थी। हाँ, इस साजो–समान की

आपूर्ति किसी अन्य योजना के कोष से होती हो, तब इजाजत मिल सकती थी। इस दिशा–निर्देश में इसीलिए यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि 60 : 40 का अनुपात पूरा करने के

लिए रोजगार आश्वासन योजना की रूपरेखा इस प्रकार होनी चाहिए–वृक्षारोपण, वनसंवर्धन, कृषि बागवानी समेत भूमि और जल संरक्षण कार्य : 40 फीसदी; लघु सिंचाई कार्य : 20 फीसदी; संपर्क–सड़कों का निर्माण कार्य : 20 फीसदी; और प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य : 20 फीसदी। इन परियोजनाओं की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन तथा निगरानी में जमीनी स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित की गई थी। परियोजनाएँ बनाने और उसकी प्राथमिकता तय करने के लिए आम सभा की जानी थी। इसी सभा में योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा उसके समुचित संचालन के लिए लाभार्थी समिति गठित की जाती और एक प्रतिनिधि चुना जाता। बिहार में इस योजना का कार्यान्वयन काफी सीमित रहा और जहाँ काम चला भी, वहाँ योजना के लक्ष्य और तौर–तरीकों की काफी उपेक्षा की गई।[3] प्रसंगवश, यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि 80 और 90 के दशक में बिहार में पंचायत चुनाव नहीं कराए गए थे। फलतः ग्रामीण विकास योजना के कई केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों की धनराशि से वह वंचित रहा। ये चुनाव 2001 में संपन्न हुए।

महिला खेत मजदूर : खेत मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा महिला खेत मजदूरों का था। 1991 की जनगणना के अनुसार, कुल दलित खेत मजदूरों में पुरुष खेत मजदूरों की संख्या 22,23,481 थी और महिला खेत मजदूर थीं 9,62,038 । इन महिला खेत मजदूरों के बिना कृषि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इन दलित महिला खेत मजदूरों की सबसे अधिक तादाद, जाहिर है, गया जिले में थी–93,414 (इस जिले में कुल महिला खेत मजदूर थीं–1,23,370)। दलित महिला खेत–मजदूरों की भारी संख्यावाले कुछ अन्य जिले थे–मुंगेर (49,326), सहरसा (48,586), नालंदा (48,231), पटना (47,830) और रोहतास (41,327)।

दलितों के जरिए सामाजिक सुरक्षा की कोई प्रणाली दलित महिलाओं और बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के बिना अधूरी ही होगी। ऐसी कुछ योजनाएँ थीं भी जिनका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन एक भारी समस्या थी। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे और इनसे जुड़ी नौकरशाही तथा बिचौलियों की श्रेणी फल–फूल रही थी।

संदर्भ :–

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। प्रगति प्रतिवेदन, 2002–03 । (मार्च 1996 के अंत तक बिहार के 3,72,529 भूमिहीनों के बीच कुल 3,02,871 एकड़ जमीन वितरित की गई थी। दलित जाति के लाभार्थियों की संख्या 2,19,832 (61.69 फीसदी) थी, जिन्हें कुल मिलाकर 1,78,887 एकड़ भूमि दी गई) ।

2. कल्याण विभाग, बिहार सरकार, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, 2000–2001 । 3. स्टुअर्ट कोरब्रिज, ग्लिन विलियम्स, मनोज श्रीवास्त्व, रेने वेरोन; 'मेकिंग सोशल साइंसमैटर, हाउ दि लोकल स्टेट वर्ल्स इन रूरल बिहार एंड वेस्ट बेंगाल', इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 14 जून, 20031